दिनांक–18.09.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिलावार प्रगति की मासिक समीक्षात्मक बैठक में की गई समीक्षा एवं निदेश के मुख्य बिन्दु।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–18.09.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की उपस्थिति में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ की गई।

समीक्षोपरान्त जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर पर जिलावार तैयार किए गए समेकित एवं तुलनात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त जिलों को दिए गए निदेश निम्नवत् हैं–

1. **2500 खेसरों तक वाले ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षाः**– 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा में पाया गाया कि विगत एक माह में 2500 खेसरों तक वाले के प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित राजस्व ग्रामों की संख्या में मात्र 03 प्रतिशत है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन पूर्व 83655 तथा प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन पश्चात् अब तक 35253 दावा, आपत्तियों को भूसर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया गया है। उक्त प्रगति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि प्रपत्र–20 में प्रकाशित अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं निष्पादन सम्बन्धी आदेश की जिलावार सूची अलग से समीक्षा की जाए एवं जिन राजस्व ग्रामों में नियमावली के अनुरूप कालावधि पूर्ण हो गई है, उनका अधिकार अभिलेख अंचल स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के प्रगति की विगत् 3 माह की प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिलावार प्रगति निम्नवत पाई गई–

2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति																		18-09-2023
SL. NO.	District	Mauza	प्रारूप प्रकाशन			खानापुरी			प्रपत्र 6 इंट्री			एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम		विश्राति के लिए लंबित राजस्व ग्राम		Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम	
			जुलाई द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	प्रगति	जुलाई द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	प्रगति	जुलाई द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	प्रगति	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	जुलाई द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	जुलाई द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	जुलाई द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ARARIA	79	51	61	10	0	0	0	2	0	2	0	1	10	0	0	2	6
2	ARWAL	166	40	44	4	2	0	2	57	22	35	7	0	84	0	0	0	9
3	BANKA	168	105	108	3	3	0	3	18	5	13	6	7	46	0	3	2	1
4	BEGUSARAI	299	177	206	29	36	21	15	12	5	7	10	18	21	2	8	0	13
5	JAMUI	69	34	34	0	3	2	1	14	1	13	7	0	21	2	4	0	0
6	JEHANABAD	159	61	76	15	1	0	1	27	10	17	11	1	62	0	0	0	0
7	KATIHAR	116	66	72	6	0	0	0	0	0	0	4	7	33	0	7	0	0
8	KHAGARIA	78	21	27	6	1	1	0	17	8	9	1	8	38	0	3	0	0
9	KISHANGANJ	284	51	62	11	111	75	36	39	72	33	16	16	56	4	3	1	0
10	LAKHISARAI	243	104	114	10	19	4	15	46	36	10	20	10	47	1	10	1	9
11	MADHEPURA	61	39	43	4	2	0	2	1	3	2	0	3	12	2	0	0	0
12	MUNGER	264	169	182	13	10	1	9	43	7	36	12	8	61	0	0	0	1
13	NALANDA	211	143	164	21	0	0	0	4	0	4	0	10	22	6	9	1	12
14	PURNIA	53	39	42	3	0	0	0	9	0	9	0	3	11	0	0	0	0
15	SAHARSA	42	20	21	1	8	1	7	3	6	3	0	2	14	1	0	0	0
16	SHEIKHPURA	160	146	160	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	19	27	8	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	2
18	SITAMARHI	90	37	41	4	0	0	0	27	0	27	0	5	46	3	1	1	2
19	SUPAUL	76	62	76	14	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
20	W.CHAMPARAN	153	99	112	13	3	1	2	15	5	10	12	8	20	0	1	0	2
Total:-		2800	1483	1672	189	200	106	94	335	180	231	106	114	604	21	49	8	57

2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा उपरान्त 2500 से 5000 खेसरा तक वाले ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण के प्रगति की समीक्षा की गई और निम्नवत प्रगति पाई गई–

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति													दिनांक-18-09-2023
क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र - 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल0पी0 एम0		सुनवाई		अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहाँ खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र - 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0पी0एम० लंबित	एल0पी0एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	32	0	32	0	12	0	12	2	0	3	3	01 मौजा का खानापुरी पर्चा तिवरण किया जा चुका है।
2	अरवल	71	0	71	17	18	13	12	6	5	5	0	
3	बांका	57	4	55	1	30	2	8	2	0	9	1	2500 तक खेसरा वाले कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 62 है परंतु 3 राजस्व ग्राम का CS नक्शा उपलब्ध नहीं के कारण 57 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया जाना है।
4	बेगूसराय	65	0	65	13	40	0	0	9	3	3	0	
5	जमुई	30	0	30	0	14	0	6	6	0	4	0	
6	जहानाबाद	56	0	56	0	16	4	26	8	0	2	0	
7	कटिहार	34	0	34	0	0	0	15	19	0	0	0	
8	खगडिया	46	0	46	1	23	0	17	1	2	1	0	22 राजस्व ग्राम का खानापुरी पूर्ण 6 राजस्व ग्राम प्रपत्र 6 इन्टी पूर्ण
9	किशनगंज	97	0	97	62	35	11	2	0	0	0	0	
10	लखीसराय	86	0	86	15	55	0	14	2	0	0	0	
11	मधेपुरा	15	0	15	0	7	4	6	0	0	1	0	
12	मुंगेर	33	1	32	0	4	1	15	4	0	8	0	
13	नालंदा	103	8	95	2	42	0	19	3	29	14	15	02 राजस्व ग्राम का सी0एस0 मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णियाँ	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	सभी 06 राजस्व ग्राम में प्रपत्र-06 की प्रविष्टि प्रारंभ है।
15	सहरसा	44	0	44	9	16	0	8	2	9	0	0	
16	शेखपुरा	64	35	29	0	0	0	7	0	0	8	14	
18	सीतामढी	106	0	106	44	10	12	30	5	0	5	0	खानापुरी स्थगीत 4 प्रपत्र 6 स्थगीत 2
19	सुपौल	64	17	47	15	4	3	8	4	0	13	0	
20	प0 चम्पारण	63	1	62	10	15	10	17	5	1	5	0	10 राजस्व ग्राम में याद्दाश्त लेखन कार्य जारी है।
	कुल	1100	66	1036	189	351	60	237	82	53	82	33	

जिलावार 2500 खेसरों वाले एवं 2500 से ऊपर के खेसरों वाले राजस्व ग्रामों की उक्त जिलास्तरीय समीक्षा के आधार पर जिलावार प्रक्रमवार किए जा रहे के प्रगति के सम्बन्ध में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन और समीक्षोपरांत दिए गए निदेश निम्नवत् हैं–

(i) अररिया जिले की समीक्षा में पाया गया कि 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में अभी भी 10 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नवम्बर तक 2500 खेसरों वाले सभी राजस्व ग्रामों का अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि प्रपत्र–6 की प्रविष्टि खानापुरी एवं सुनवाई सम्बन्धी कार्यों में समन्वय स्थापित कर सभी प्रक्रमों में प्रगति बनाए रखने के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों को सप्ताह में (03) तीन दिन कार्यालय में तथा 03 दिन क्षेत्रीय कार्य करने का निदेश दिया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया)

(ii) अरवल जिले की समीक्षा में पाया गया कि 2500 खेसरों वाले कुल 166 राजस्व ग्रामों में अब तक मात्र 48 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है, जबकि अभी तक एक भी ग्राम का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास 22 मानचित्र लम्बित है। एजेंसी द्वारा बताया गया कि सभी मानचित्र अपडेट कर तीन दिनों में वापस कर दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि प्रक्रमवार होने वाले कार्यों में विलम्ब को देखते हुए वैसे कर्मियों जिनके द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है अथवा निरंतर निदेशों के बावजूद कार्य में लापरवाही की जा रही है, के सम्बन्ध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या–5966 दिनांक–25.07.2023 को दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल / आई0आई0सी0हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

(iii) बांका और बेगूसराय की समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका द्वारा बताया गया कि बांका जिले में पूर्व से बट्टा संख्यावार विभक्त करने के पश्चात् प्रथम चरण अन्तर्गत लगभग 950 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि जिले के 46 ग्रामों में सुनवाई का कार्य प्रगति पर है। बेगूसराय के समीक्षा में पाया गया कि खानापुरी एवं प्रपत्र–6 में प्रविष्टि के कार्य की गति बहुत धीमी है।

निदेशित किया गया कि प्रत्येक जिले में सुनवाई के कार्य को अभियान चलाकर सुबह 10.00 बजे से संध्या 05.00 बजे निष्पादित किया जाए एवं प्रारूप प्रकाशन के पूर्व सुनवाई की प्रक्रिया में दो तिथियों में ही आपत्ति का निष्पादन कर दिया जाए। शिविरवार / कर्मीवार प्रपत्र–6 में की जाने वाली प्रविष्टियों की समीक्षा दैनिक आधार पर की जाए। सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि माह नवंबर, 2023 से नवनियोजित होने वाले 10101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाना है। अतः आवश्यक है कि नवंबर, 2023 के पूर्व से चल रहे कार्य को व्यवस्थित कर लिया जाए एवं प्रत्येक दशा में 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर लिया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय / बांका)

(iv) जमुई, जहानाबाद एवं कटिहार की समीक्षा में पाया गया कि जमुई एवं जहानाबाद में 2500 खेसरो तक वाले कुल राजस्व ग्रामों में 50% राजस्व ग्रामों का भी प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है जबकि कटिहार में 116 के विरूद्ध मात्र 66 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है।

निदेशित किया गया कि खानापुरी कार्य का सघन अनुश्रवण करते हुए प्रपत्र–6 की प्रविष्टि संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए शिविर कर्मियों को जिला में बुलाकर कैंप लगाते हुए तेजी से कार्यो का निष्पादन किया जाए।

(अनुपालन–संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(v) खगड़िया के समीक्षा में बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण के 155 राजस्व ग्रामों में से 78 राजस्व ग्रामों का खतियान उपलब्ध नहीं होने के कारण खानापुरी एवं सुनवाई के कार्यो में कठिनाई आ रही है एवं प्रक्रमवार कार्यो के निष्पादन में विलंब हो रहा है।

निदेशित किया गया कि खगड़िया जिले के अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र के संबंध में निदेशित किया गया कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य में खगड़िया जिले से संबंधित कार्य की अलग से समीक्षा कर ज्ञात किया जाय की खगड़िया जिले अर्न्तगत कितने खतियान एवं विभिन्न प्रकार के राजस्व अभिलेखों (वैसे अभिलेख जो विशेष सर्वेक्षण के लिए उपयोगी हो) की स्कैनिंग की गई है। उप–निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को निदेशित किया गया कि गुलजारबाग में खगड़िया जिले से कितने विगत सर्वे के मानचित्र उपलब्ध है एवं मानचित्र के अतिरिक्त और कोई अभिलेख/खतियान उपलब्ध है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा कर भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया)

(vi) किशनगंज की समीक्षा में पाया गया कि जिले के कुल 460 राजस्व ग्रामों में 284 ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले हैं एवं अभी तक मात्र 51 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है एवं मात्र 03 राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया गया है। किशनगंज की असंतोषजनक प्रगति के सम्बन्ध में बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि किशनगंज में जिला, शिविर प्रभारी/कानूनगो एवं अमीन के मध्य समन्वय का अभाव है एवं उचित मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण की कमी के कारण प्रगति प्रभावित हो रही है।

निदेशित किया गया कि जिला स्तर से प्रतिदिन किशनगंज की प्रगति की समीक्षा की जाए एवं किशनगंज के कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज)

(vii) लखीसराय, मधेपुरा एवं मुंगेर की समीक्षा में पाया गया कि लखीसराय एवं मुंगेर में क्रमशः 47 एवं 61 राजस्व ग्रामों में सुनवाई का कार्य चल रहा है। मधेपुरा की समीक्षा में पाया गया कि एक सप्ताह में प्रपत्र चल रहा है। मधेपुरा की समीक्षा में पाया गया कि एक सप्ताह में प्रपत्र–6 में मात्र 150 इंट्री की जा रही है।

निदेशित किया गया कि 15 अक्टूबर तक सभी ग्रामों में सुनवाई का कार्य पूर्ण कर 31 अक्टूबर, 2023 तक सभी 2500 से कम खेसरों वाले ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(Viii) नालंदा, पूर्णिया एवं सहरसा की समीक्षा में प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख दिनांक–25.09.2023 तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। सहरसा जिले के बारे में प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले 42 राजस्व ग्रामों में 21 का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है एवं 14 ग्रामों में सुनवाई चल रही है एवं 06 ग्रामों में प्रपत्र–6 की प्रविष्टि की जा रही है।

निदेशित किया गया कि सुनवाई एवं प्रपत्र–6 की प्रविष्टि संबंधी कार्यों का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाए एवं प्रत्येक दशा में अक्टूबर माह में ही 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख अक्टूबर माह में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(ix) शिवहर, शेखपुरा एवं सुपौल की समीक्षा में पाया गया कि 2500 खेसरों से कम वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है। शेखपुरा द्वारा बताया गया कि 2500 से 5000 के बीच खेसरे वाले के 64 राजस्व ग्रामों में से 45 में खानापुरी का कार्य पूर्ण हो गया है। 60 राजस्व ग्रामों में खेसरों की संख्या 5000 से अधिक एवं 15 राजस्व ग्रामों में खेसरों की संख्या 20000 से अधिक है। शिवहर के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रपत्र–20 के प्रकाशन पश्चात् सुनवाई की प्रक्रिया में सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील को सम्बद्ध किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा शिवहर के विशेष सर्वेक्षण कर्मी श्री गोलु कुमार के संविदा समाप्ति के संबंध में भी अनुरोध किया गया है।

निदेशित किया गया कि 2500 खेसरों से कम वाले जिन राजस्व ग्रामों में अंतिम एवं प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है, वहां के अमीनों को बड़े–बड़े राजस्व ग्रामों में सम्बद्ध किया जाय एवं 2500 से अधिक खेसरों वाले राजस्व ग्रामों के कार्यों का तेजी से निष्पादन किया जाय।

(अनुपालन–संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(x) सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण की समीक्षा में पाया गया कि दावा, आपत्तियों के निष्पादन में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। प्रतिवेदित किया गया है कि कानूनगो की संख्या कम होने के कारण एक–एक कानूनगो द्वारा लगभग 10 से 12 ग्रामों में सुनवाई का कार्य किया जा रहा है। सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि रैयतों द्वारा दिये गये आपत्तियों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में अधिक है, जिस कारण सुनवाई की प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है।

निदेशित किया गया कि प्रारूप प्रकाशन के पूर्व खानापुरी प्रक्रिया अंतर्गत याददाश्त लेखन के कार्य का अनुश्रवण सही ढंग से किया जाय ताकि रैयतों द्वारा दायर किये जाने वाले आपत्तियों की संख्या कम हो सके। दावा, आपत्ति की ज्यादा संख्या स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि खानापुरी के काम की गुणवत्ता सही नहीं है। जिला स्तर से प्रारूप प्रकाशन के पूर्व की खानापुरी एवं सुनवाई प्रक्रिया का सतत् अनुश्रवण कर कर्मियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी / पश्चिम चम्पारण)

जिलास्तरीय विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के प्रगति की विस्तृत समीक्षा उपरांत स्थापना एवं अन्य समस्याओं तथा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की वर्त्तमान प्रक्रिया अंतर्गत अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन उपरांत सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेख का वितरण रैयतों के मध्य किये जाने संबंधी कार्य योजना पर विमर्श किया गया। विमर्शोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है:–

1. कुछ जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि पूर्व में बन्दोबस्त कार्यालय के स्तर से संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के भविष्य निधि की राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ससमय जमा नहीं होने के कारण संगठन द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

निदेशित किया गया कि सभी जिलों से भविष्य निधि कटौती के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर EPFO कार्यालय के साथ भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से पत्राचार किया जाय।

(अनुपालन–संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी / स्थापना शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

2. समीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित जिलों में प्रपत्र–20 में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन उपरांत 06 माह की अवधि समाप्त होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या निम्न प्रकार है–

- मुंगेर–42
- बेगूसराय–130
- शेखपुरा–80
- सुपौल–38
- नालंदा–16

निदेशित किया गया कि उपरोक्त जिलों में मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा तथा सुपौल के कम–से–कम 10–10 ग्रामों एवं नालंदा के 05 ग्रामों में रैयतों के मध्य क्रमशः नवम्बर–2023 के प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह में अंतिम अधिकार अभिलेख वितरीत करने संबंधी कार्यक्रम की कार्य–योजना तैयार कर अविलंब भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। कार्य–योजना में वितरण के स्थान, समय एवं संभावित तिथि इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

(अनुपालन– संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

3. बेगूसराय, पूर्णिया, जहानाबाद एवं कुछ अन्य जिलों द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के मातृत्व एवं अन्य अवकाश संबंधी आवेदनों के निष्पादन का अनुरोध किया गया। साथ ही स्वीकृत मातृत्व अवकाश के भुगतान के लिए आवंटन भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

निदेशालय के स्थापना शाखा को निदेशित किया गया कि प्रत्येक जिले से लंबित आवेदनों की विवरणी प्राप्त कर एक सप्ताह के अंदर सभी आवेदनों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। सभी जिलों को यह भी निदेशित किया गया कि मातृत्व अवकाश संबंधी आवेदनों में जो मातृत्व अवकाश स्वीकृति संबंधी विभागीय आदेश के पूर्व के है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवंटन के संबंध में स्पष्ट किया गया कि मातृत्व अवकाश के लिए अलग से आवंटन की आवश्यकता नहीं है, विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को किये जाने वाले मानदेय भुगतान के लिए उपलब्ध राशि से ही मातृत्व अवकाश आदि के लिए भुगतान किया जाएगा। यदि सामान्य आवंटन में आवश्यकता हो तो इसकी मांग की जा सकती है।

(अनुपालन–संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी / स्थापना शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

4. बेगूसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव द्वारा MACP के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, किन्तु श्री यादव की सेवापुस्त उपलब्ध नहीं रहने के कारण न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्थापना शाखा को निदेशित किया गया कि श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव की सेवापुस्त के Reconstruct करने की कार्रवाई यथाशीघ्र कर ली जाय।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/प्रशाखा पदाधिकारी/स्थापना शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

5. कटिहार के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा कटिहार जिले के दो लिपिकों यथा– श्री दिलीप यादव एवं श्री आदित्य नाथ झा का स्थानांतरण अन्य जिले में किये जाने का अनुरोध किया गया, जबकि अररिया एवं अरवल जिले द्वारा अररिया में लिपिक के पदस्थापन का अनुरोध किया गया। जहानाबाद, अरवल एवं जमुई जिले द्वारा एक डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदस्थापन का अनुरोध किया गया।

निदेशित किया गया कि सभी जिलों में कर्मियों के पदस्थापन की समीक्षा करते हुए जिलों के अनुरोध के आलोक में कर्मियों के पदस्थापन संबंधी कार्रवाई की जाय। अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि सभी जिला में पूर्व से पदस्थापित एक डाटा इंट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त एक और डाटा इंट्री के पदस्थापन के संबंध में बेल्ट्रॉन से पत्राचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी/स्थापना शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

6. विभिन्न जिलों यथा–अररिया, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, जहानाबाद एवं नालंदा द्वारा वाहन मद में तथा बांका एवं पश्चिम चम्पारण द्वारा कार्यालय व्यय एवं मशीन उपस्कर में आवंटन दिये जाने का अनुरोध किया गया।

जिलों को अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर पर वाहन मद में जो भी आवंटन उपलब्ध था, उसे जिलों की मांग अनुसार वितरित किया जा चुका है। निदेशित किया गया कि अन्य मदों में उपलब्ध रहने पर मांग के अनुसार आवंटन उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालन–बजट/स्थापना शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

7. बैठक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए नवनियोजित होने वाले 10101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान प्रक्रिया एवं योगदान उपरांत प्रशिक्षण दिये जाने पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्त्तमान कार्य–योजना के अनुसार नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान एवं कॉउसिलिंग का कार्य जिला स्तर पर किया जाना है। नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के जिलावार संख्या के संबंध में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक जिले के प्रत्येक अंचल में एक विशेष सर्वेक्षण शिविर गठित करते हुए प्रत्येक विशेष सर्वेक्षण शिविर में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 02 कानूनगो, 02 लिपिक तथा अंचल के कुल राजस्व ग्रामों के विरूद्ध प्रत्येक 04 ग्राम के विरूद्ध एक विशेष सर्वेक्षण अमीन का पदस्थापन किया जाना है। इसी ऑकलन के अनुसार पूर्व से चल रहे विशेष सर्वेक्षण शिविरों को भी पुर्नगठित किया जाना प्रस्तावित है। अतः आवश्यक है कि इस कार्य–योजना के अनुसार जिलावार कर्मियों की संभावित संख्या का ऑकलन करते हुए जिलास्तरीय योगदान एवं प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर स्थान चयन आदि करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाय।

नवनियोजित होने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में विमर्शोंपरांत विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से संबंधित विभिन्न विषयों पर 20 मिनट से 25 मिनट तक का विडियो आख्यान बनाने का अनुरोध सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से किया गया। इस संबंध में जिन जिलों द्वारा विभिन्न विषयों पर विडियो आख्यान के रिकॉर्डिंग पर सहमति व्यक्त की गई, वे निम्न प्रकार है–

क्र0	जिला / पदाधिकारी का नाम	विषय
01.	श्री विजय कुमार सिंह, बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय,	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में याद्दाश्त लेखन का कार्य
02.	श्री भारत भूषण प्रसाद, बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में खानापुरी का कार्य
03.	श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्त्ता, लखीसराय।	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में प्रपत्र–6 का संधारण एवं सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि
04.	श्री राजेश कुमार, बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में सुनवाई का कार्य एवं आदेश लेखन का कार्य
05.	श्री अविनाश कुमार, बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में सुनवाई संबंधी कार्य में आनेवाली कठिनाईयां एवं उनका समाधान
06.	श्री कृष्ण सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), पूर्णिया	विशेष सर्वेक्षण शिविरों का गठन एवं शिविरस्तरीय प्रबंधन

निदेशित किया गया कि विडियो कक्षा लेने वाले सभी पदाधिकारी अपने विगत अनुभव के आधार पर गुणवत्ता पूर्ण विडियो आख्यान देने का प्रयास करेंगे। विडियो रिकॉर्डिंग के लिए यथा संभव भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा निदेशालय में रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(अनुपालन–संबंधित पदाधिकारी / निदेशालय, प्रशिक्षण कोषांग)

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ....8474.... **पटना, दिनांक**: 05/10/2023

प्रतिलिपिः समाहर्त्ता, किशनगंज / बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा / कटिहार / मुंगेर / नालंदा / खगड़िया / पूर्णियाँ / मधेपुरा / अरवल / जमुई / बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अररिया / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण / शिवहर / बांका / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ....8474.... **पटना, दिनांक**: 05/10/2023

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), किशनगंज / सहरसा / कटिहार / मुंगेर / नालंदा / खगड़िया / पूर्णियाँ / मधेपुरा / अरवल / जमुई / बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अररिया / सीतामढ़ी / सुपौल / प0चम्पारण / शिवहर / बांका / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ....8414........**पटना, दिनांक**:05/10/2023

प्रतिलिपिः जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ....8414........**पटना, दिनांक**:05/10/2023

प्रतिलिपिः सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0 सेल भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ....8414........**पटना, दिनांक**:05/10/2023

प्रतिलिपिः श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ....8414........**पटना, दिनांक**:05/10/2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप